<u>दिनांक 8 फरवरी 2019 को बराद सदन, शैक्षणिक खंड, सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित</u>

<u>कार्यकारिणी परिषद की 32वीं बैठक का कार्यवृत्त</u>

दिनांक 8 फरवरी 2019 को सुबह 11:00 बजे आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 32वीं बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. अविनाश खरे - अध्यक्ष
   कुलपति
2. प्रो. आद्य प्रसाद पांडे - सदस्य
   कुलपति, मणिपुर विश्वविद्यालय
3. प्रो. नवल के. पासवान, - सदस्य
   डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
4. प्रो. अभिजीत दत्ता - सदस्य
   डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ
5. डॉ. के.आर.राम मोहन, - सदस्य
   डीन, मानव विज्ञान विद्यापीठ
6. डॉ. कविता लामा - सदस्य
   डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ
7. प्रो. एन. सत्यनारायण - सदस्य
   प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग
8. डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय - सदस्य
   सह प्राध्यापक, भौतिकी विभाग
9. प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग - विशेष आमंत्रित
   डीन, जीव विज्ञान विद्यापीठ
10. श्री देवाशीष पाल - विशेष आमंत्रित
    वित्त अधिकारी
11. श्री टी.के.कौल - सचिव
    कुलसचिव

प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा, प्रो. गंगा प्रसाद प्रसाइन और डॉ. लक्ष्मण शर्मा उनके पूर्व निर्धारित कार्यों के लिए बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें और उनकी अनुपस्थिति के लिए अवकाश की मांग की।

श्रीमती कल्पना राणा, अनुभाग अधिकारी (स्थापना) और श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद को सहायता प्रदान करने के लिए उपस्थित थे।

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने परिषद के सभी सदस्यों का 32 वीं बैठक में स्वागत किया। उन्होंने कार्यकारी परिषद के सदस्यों के समक्ष कुलपति प्रो अविनाश खरे का परिचय दिया। प्रो. जे. पी. तमांग द्वारा पारंपरिक खडा पहनाकर औपचारिक रूप से कुलपति स्वागत किया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष ने 32 वीं बैठक में परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने विशेष रूप से मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आद्या प्रसाद पांडे, प्रो. अभिजीत दत्ता, डॉ. कविता लामा और प्रो.एन.सत्यनारायण का स्वागत किया जो पहली बार बैठक में भाग ले रहे थे। कुलपति ने कार्यकारी परिषद के

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा कार्यकाल पूरा किए जाने पर प्रशंसा और योगदान की लिखित प्रस्तुति दी।

1. श्री टी.आर. पौड्याल, पूर्व सचिव, सिक्किम सरकार
2. श्री कमल काफ्ले, पूर्व सचिव, सिक्किम सरकार
3. प्रो. घनश्याम नेपाल, नेपाली विभाग, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय
4. प्रो. अमरेश दुबे, क्षेत्री विकास अध्ययन केंद्र, जेएनयू
5. डॉ. श्रीराधा दत्ता, वरिष्ठ अध्येता, विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय फ़ाउंडेशन
6. प्रो. बापुकन चौधुरी, मानवशास्त्र विभाग, गौहाटी विश्वविद्यालय
7. डॉ. एस. मणिवन्णन, पूर्व छात्र कल्याण डीन

इसके बाद एजेंडा विषयों पर निम्नानुसार चर्चा की गयी :

खंड -1

कार्यवृत्त की संपुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट

ईसी 32.1.1: ***दिनांक 29 जून 2018 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि***

दिनांक 29 जून 2018 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 16 जुलाई 2018 को सभी सदस्यों को परिचालित किया गया था। परिषद की किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 29 जून 2018 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 16 जुलाई 2018 को परिचालित किए जाने के अनुसार पुष्टि की गयी।

ईसी 32.1.2: दिनांक 29 जून 2018 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त पर ली गयी कार्रवाई की रिपोर्ट

सचिव ने परिषद की 31 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया।

खंड - 2

सूचनात्मक विषय

ईसी 32.2.1: उच्च शिक्षा वित्तपोषित अभिकरण (एचईएफ़ए) के अधीन रु. 98.13 करोड़ की धनराशि की निधि के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय प्रस्ताव को मंजूरी

यांगयांग में विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए बुनियादी संरचना के सृजन के लिए उच्च शिक्षा वित्तपोषित अभिकरण (एचईएफ़ए) के तहत 98.13 करोड़ रुपये की धनराशि के प्रस्ताव पर एजेंडा आइटम को दिनांक 20 दिसंबर 2018 को कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों के विचारार्थ ईमेल के माध्यम से प्रसारित किए गए थे क्योंकि 31 दिसंबर 2018 से पहले एमएचआरडी को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। वित्त समिति द्वारा 24 दिसंबर 2018 को आयोजित वित्त समिति की 21वीं बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी थी। चूंकि कुल सदस्यों में से आधे संख्यक सदस्यों ने एजेंडा को अनुमोदित किया था, इसलिए अध्यक्ष ने इस एजेंडा विषय को अनुमोदित माना।

कार्यकारिणी परिषद ने प्रसारित किए गए एजेंडा के अनुमोदन को नोट किया।

सूचीबद्ध विषय

ईसी 32.2.2: सिक्किम विश्वविद्यालय (चरण-1 के पैकेज-2) के निर्माण के लिए डीपीआर को मंजूरी प्रदान

विश्वविद्यालय ने यांगयांग में स्थायी परिसर के निर्माण (चरण-1, पैकेज-2) के लिए रु.303.55 करोड़ रुपये की राशि के लिए डीपीआर तैयार किया। प्रारम्भ से सिक्किम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किए जानेवाले व्यय के लिए विश्वविद्यालय के एससीएफ़/ईएफ़सी प्रस्ताव में कुल अनुमानित 1,000/- करोड़ रुपये है, जिसमें अगले तीन वर्षों के लिए रु. 303.55 करोड़ रुपये के प्रस्तावित डीपीआर और अन्य प्रस्तावित व्यय शामिल है, जिसे दिनांक 26 जनवरी 2019 को ईमेल के माध्यम से विचार करने के लिए कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों को प्रसारित किया गया था। यह शीघ्रातीशीघ्र एमएचआरडी को डीपीआर प्रस्तुत करने में विश्वविद्यालय को सक्षम बनाने के लिए किया गया था। इस प्रस्ताव को भी संचालन के माध्यम से वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों ने एजेंडा विषयों को मंजूरी दी। अध्यक्ष ने एजेंडा मद को अनुमोदित माना।

कार्यकारिणी परिषद ने परिचालन द्वारा एजेंडा विषय के अनुमोदन को नोट किया।

खंड -3

अनुसमर्थन से संबन्धित विषय

ईसी 32.3.1: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और सिक्किम विश्वविद्यालय के बीच वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन

दिनांक 29 जून 2018 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 31वीं बैठक में सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 229 (xi) के अनुसार यूजीसी और एमएचआरडी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने तथा मामले को अनुसमर्थन हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया । तदनुसार, एमएचआरडी, यूजीसी और विश्वविद्यालय के बीच 2018-19 के लिए प्रदर्शन मानदंडों, परिणाम लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हुए दिनांक 30 अगस्त 2019 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। परिषद को सूचित किया गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन के अनुसार प्रदर्शन मूल्यांकन करने के लिए कुलपति की अध्यक्षता में वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकलायाध्यक्ष, सभी विद्यापीठों के डीन, छात्रकल्याण डीन, निदेशक आईक्यूएसी को सदस्य के रूप में और कुलसचिव को सदस्य सचिव के रूप में शामिल करते हुए एक समीक्षा समिति का गठन किया गया था।

विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी और एमएचआरडी के साथ हस्ताक्षरित त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन को कार्यकारिणी परिषद द्वारा पुष्टि की गई है

ईसी 32.3.2: डॉ. नागेंद्र ठाकुर, सहायक प्राध्यापक को अध्ययन अवकाश

दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 30 वीं बैठक में डॉ. नागेंद्र ठाकुर, सहायक प्राध्यापक, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग को जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के वैज्ञानिकों के लिए डीबीटी के ओवरसीज एसोसिएटशिप के अधीन संचालित पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप करने के लिए दिनांक 15 जुलाई, 2018 से एक वर्ष के लिए अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है। डॉ.

नागेंद्र ठाकुर ने दस्तावेजों और वीज़ा की तैयारी के लिए अपने अध्ययन अवकाश को 1 सितंबर 2018 तक स्थगित करने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध को कुलपति ने स्वीकार कर लिया और उन्हें 1 सितंबर 2018 को कार्यमुक्त कर दिया गया।

मामले को कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुसमर्थन दिया गया था।

ईसी 32.3.3: असाधारण अवकाश के लिए डॉ. अमित कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक का आवेदन

डॉ. अमित कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग ने संकाय सदस्य के रूप में विदेश सेवा संस्थान में कार्यग्रहण करने के लिए तीन वर्षों के लिए असाधारण अवकाश मंजूर करने केलिए निवेदन किया था। डॉ. अमित कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक ने दिनांक 30 अप्रैल 2014 को विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण किया था और दिनांक 29 अप्रैल 2017 को तीन वर्ष की सेवा पूरी की और इसलिए उन्हें शिक्षण अथवा शोध कार्य के लिए अवकाश अध्यादेश की धारा 8(iii) (क) के तहत भारत अथवा विदेश के किसी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान अथवा अन्य सदृश महत्वपूर्ण संस्थानों में दो वर्ष की अवधि के लिए असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिए पात्र है।

कुलपति महोदय ने उनके निवेदन को स्वीकार किया और डॉ. अमित कुमार गुप्ता को दिनांक 19 नवंबर 2018 (अपराह्न) से दो वर्ष के लिए असाधारण अवकाश प्रदान किया है।

डॉ. अमित कुमार गुप्ता को संकाय सदस्य के रूप में विदेश सेवाम में कार्यग्रहण करने के लिए दो वर्षों की अवधि के लिए असाधारण अवकाश प्रदान करने की कुलपति की कार्रवाई को कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।

ईसी 32.3.4: परीक्षा नियंत्रक के पद से डॉ. देवाशीष चौधुरी का इस्तीफा .

डॉ. देबाशीष चौधरी ने 7 जनवरी 2015 को पांच वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा नियंत्रक के रूप में विश्वविद्यालय में कार्य ग्रहण किया था। डॉ. चौधरी ने पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग में परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्यग्रहण करने के लिए दिनांक 20 सितंबर 2018 को कार्यमुक्त किए जाने के अनुरोध के साथ 11 सितंबर 2018 को इस्तीफा दिया था।

परीक्षा नियंत्रक के पद से इस्तीफा देने पर विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधि या अध्यादेश में कोई शर्तें नहीं हैं। कुलपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्हें दिनांक 20 सितंबर 2018 को विश्वविद्यालय की सेवा से मुक्त कर दिया।

डॉ. देवाशीष चौधुरी, परीक्षा नियंत्रक के त्यागपत्र को स्वीकार करने तथा दिनांक 20 सितंबर 2018 (पूर्वाह्न) को उन्हें कार्यमुक्त करने की कार्रवाई को कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।

ईसी 32.3.5: श्री चन्दन तालुकदार, संयुक्त कुसलचिव को लिएन पर कार्यमुक्त

श्री चंदन तालुकदार, संयुक्त कुलसचिव ने गौहाटी विश्वविद्यालय, असम में उप कोषाध्यक्ष के रूप में कार्यग्रहण करने के लिए 8 जून 2018 को अपने आवेदन में दिनांक 10 सितंबर 2018 (पूर्वाह्न) को लिएन पर कार्यमुक्त करने हेतु निवेदन किया । चूँकि श्री चंदन तालुकदार ने तीन महीने की नोटिस अवधि पर सेवा दी, इसलिए कुलपति ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 10 सितंबर 2018 (पूर्वाह्न)

से एक वर्ष की अवधि के लिए उन्हें कार्यमुक्त कर दिया।

श्री चन्दन तालुकदार, संयुक्त कुलसचिव को एक वर्ष की अवधि के लिए लिएन पर कार्यमुक्त करने की कुलपति की कार्रवाई को कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

ईसी 32.3.6: श्रीमती ममता प्रधान, नर्सिंग अटेंडेंट को लिएन पर कार्यमुक्त

श्रीमती ममता प्रधान, नर्सिंग अटेंडेंट ने राज्य स्वस्थ्य सेवा, सिक्किम सरकार में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यग्रहण करने के लिए दिनांक 2 नवंबर 2018 को लिएन पर सेवा मुक्त करने हेतु निवेदन किया था। श्रीमती ममता प्रधान ने तीन महीने की नोटिस अवधि पूरा करने में कम पड़नेवाली अवधि के बराबर राशि के वेतन जमा किया है। कुलपति महोदय ने उनके निवेदन को स्वीकार किया और उन्हें दिनांक 2 नवंबर 2018 को एक वर्ष की अवधि के लिए लिएन पर कार्यमुक्त किया।

श्रीमती ममता प्रधान, नर्सिंग अटेंडेंट को दिनांक 2 नवंबर 2018 को एक वर्ष की अवधि के लिए लिएन पर कार्यमुक्त करने की कुलपति की कार्रवाई को कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

ईसी 32.3.7: डॉ. सेबास्टियन, सहायक प्राध्यापक को प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त

डॉ. सेबास्टियन एन., सहायक प्राध्यापक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने दिनांक 5 अक्टूबर 2018 के पत्र के माध्यम से राजनीति विज्ञान विभाग, कालीकूट विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर सह प्राध्यापक के पद में कार्यग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करने हेतु निवेदन किया था। डॉ. सेबास्टियन एन., के निवेदन को कुलपति द्वारा स्वीकार किया गया और उन्हें दिनांक 6 नवंबर 2018 को कार्यमुक्त किया गया था।

डॉ. सेबास्टियन एन., सहायक प्राध्यापक को कालीकट विश्वविद्यालय में दिनांक 6 नवंबर 2018 को सह प्राध्यापक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करने की कुलपति की कार्रवाई को कार्यकरिणी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

ईसी 32.3.8: श्रीमती ग्रेस डी. चेंकापा, सहायक कुलसचिव की प्रन्नोति

श्रीमती ग्रेस. चेंकापा, सहायक कुलसचिव ने दिनांक 9 नवंबर 2018 को आठ साल की निरंतर सेवा पूरी की। 31 दिसंबर, 2008 के एमएचआरडी पत्र के अनुसार वह रुपये 6,600 अर्थात वेतन मैट्रिक्स स्टार-11 के उच्च ग्रेड वेतन में रखे जाने के योग्य बन गए। तदनुसार, श्रीमती ग्रेस डी. चेंकापा को दिनांक 10 नवंबर 2018 से वेतन मैट्रिक्स स्तर- 11 (67,700-2,08,700) में रखा गया था।

श्रीमती ग्रेस. चेंकापा, सहायक कुलसचिव को पात्रता शर्तों को पूरा करने पर दिनांक 10 नवंबर 2018 से वेतन मैट्रिक्स स्तर- 11 रखने की कुलपति की कार्रवाई को कार्यकरिणी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

ईसी 32.3.9: श्री अरुण कुमार थापा की एलडीसी से यूडीसी में पदोन्नति

श्री अरुण कुमार थापा ने दिनांक 22 नवंबर 2019 को एलडीसी के रूप में आठ वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की और वह भर्ती एवं पदोन्नति नियम (गैर शिक्षण) 2-16 के अनुसार पदोन्नति के लिए योग्य बने। पदोन्नति कोटा में एक यूडीसी का पद उपलब्ध था। वर्ष 2013-14 के प्रदर्शन और एपीएआर पर विचार

करने के बाद विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर कुलपति ने एलडीसी से यूडीसी तक की पदोन्नति को मंजूरी दी। श्री अरुण कुमार थापा ने दिनांक 26 नवंबर 2018 (पूर्वाह्न) को यूडीसी के रूप में पदभार ग्रहण किया।

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर भर्ती एवं पदोन्नति नियम (गैर-शिक्षण)2016 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद श्री अरुण कुमार थापा को एलडीसी से यूडीसी में पदोन्नत करने की कुलपति की कार्रवाई को कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुसमर्थित किया गया।

ईसी 32.3.10: अध्ययन अवकाश प्रदान

i) **श्री बिवेक तामांग, सहायक प्राध्यापक को अध्ययन अवकाश प्रदान**

श्री विवेक तामांग, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग ने सिक्किम विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग से अपने पीएचडी से संबन्धित शोध कार्य करने के लिए 2 फरवरी 2019 से 14 दिसंबर 2020 तक अध्ययन अवकाश मंजूर करने का अनुरोध किया। श्री विवेक तमांग ने अध्यादेश ओबी-3 की धारा 10 (iii) और (iv) के तहत प्रदान की गई पात्रता शर्तों को पूरा किया। कुलपति ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 2 फरवरी 2019 से 14 दिसंबर 2020 तक अध्ययन अवकाश प्रदान किया।

श्री बिवेक तामांग, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग को उनकी पीएचडी पूरा करने एक लिए दिनांक 2 फरवरी 2019 से 14 दिसंबर 2020 तक अध्ययन अवकाश प्रदान करने की कार्रवाई को कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुसमर्थित किया गया।

ii) **श्री बुध बहादुर लामा, सहायक प्राध्यापक को अध्ययन अवकाश प्रदान**

श्री बुध बहादुर लामा, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग ने उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में पीएचडी पाठ्यक्रम से संबन्धित शोध कार्य करने के लिए 4 फरवरी 2019 से तीन वर्षों के लिए अध्ययन अवकाश मंजूर करने हेतु अनुरोध किया। श्री बुध बहादुर लामा ने अध्यादेश ओबी-3 की धारा 10 (iii) और (iv) के तहत प्रदान की गई पात्रता शर्तों को पूरा किया। तदनुसार कुलपति ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 4 फरवरी 2019 से तीन वर्ष की अवधि तक अध्ययन अवकाश प्रदान किया।

श्री बिवेक तामांग, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग को उनके पीएचडी पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए 4 फरवरी 2019 से तीन वर्ष के लिए अध्ययन अवकाश प्रदान करने की कार्रवाई को कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुसमर्थित किया गया।

ईसी 32.3.11: प्रोफेसरों की अनुबंध आधारित नियुक्ति की समय-सीमा में बृद्धि

विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों में सीमित संकाय बल के कारण अनुबंध के आधार पर रु. 1,00,000/- के मासिक पारितोषिक पर निम्नलिखित प्रोफेसरों की नियुक्ति की थी :

क्र सं	नाम	विभाग	जन्म तिथि	अनुबंध आधारित नियुक्ति की वृद्धि
1	प्रो. विनोद चंद्र तिवारी	भूविज्ञान	12.11.1954	1.1.2019

2	प्रो. पी.के.शर्मा	गणित	05.07.1944	1.1.2019
3	प्रो. ए.पी.पाठक	भौतिकी	01.01.1947	1.2.2019

संबन्धित विभागों के अध्यक्ष और संबंधित अध्ययन विद्यापीठ के डीन के माध्यम से स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। कुलपति ने रिपोर्टों और छात्रों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर, उपर्युक्त प्रोफेसरों की अनुबंध आधारित नियुक्ति को मौजूदा नियमों और शर्तों पर प्रत्येक के सामने उल्लेखित तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया।

मौजूदा नियमों और शर्तों पर उपर्युक्त तीन प्रोफेसरों को एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंधों को बढ़ा देने की कुलपति की कार्रवाई कार्यकारी परिषद द्वारा पुष्टि की गई थी।

ईसी 32.3.12: डॉ. आर.एस.एस. नेहरू, अनुबंध आधारित सह प्राध्यापक, शिक्षा विभाग की अनुबंध अवधि की वृद्धि

डॉ. आर.एस.एस. नेहरू, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग की अनुबंध आधारित नियुक्त दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त हो गए। विभागाध्यक्ष की सिफारिशों पर कुलपति ने डॉ. नेहरू की अनुबंध आधारित नियुक्ति को 1 जनवरी 2019 से मौजूदा नियम एवं शर्तों पर एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया।

डॉ. आर.एस.एस. नेहरू की अनुबंध आधारित नियुक्ति को मौजूदा नियम एवं शर्तों पर बढ़ाने की कुलपति की कार्रवाई को कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुसमर्थित किया गया है।

सूचीबद्ध विषय

ईसी 32.3.13: विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

विश्वविद्यालय को वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एमएचआरडी को प्रस्तुत करना था। वार्षिक रिपोर्ट कार्यकारिणी परिषद के समक्ष नहीं रखी जा सकी, चूंकि पूर्व निर्धारित के अनुसार इसकी बैठक दिसंबर के महीने में आयोजित नहीं हो सकीं। तदनुसार, कुलपति ने संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु एमएचआरडी को भेजने के लिए वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 को अनुमोदन प्रदान किया।

विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए एमएचआरडी भेजने हेतु कुलपति द्वारा अनुमोदन करने की कार्रवाई को कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

खंड -4
विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

ईसी 32.4.1: सिक्किम विश्वविद्यालय में पहले अनुबंध पर नियोजित शिक्षकों की पिछली सेवा की गिनती

31 अक्टूबर 2015 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 23वीं बैठक में लिए गए संकल्प के आधार पर "सभी उद्देश्यों के लिए अनुबंध की अवधि के दौरान सेवा की गणना," शीर्षक एजेंडा आइटम पर विचार

करने के बाद 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 23वीं बैठक में लिए गए संकल्प के आधार पर "सभी उद्देश्यों के लिए अनुबंध की अवधि के दौरान सेवा की गणना," शीर्षक एजेंडा आइटम पर विचार करते हुए कार्यकारिणी परिषद के संकल्प के अनुसार इस मामले की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखितों को लेकर एक समिति का गठन किया गया था :

1. प्रो. प्रमोद टंडन, पूर्व कुलपति, नेहु - अध्यक्ष
2. श्री देवाशीष पाल, वित्त अधिकारी - सदस्य
3. श्री टी.के.कौल, कुलसचिव - सदस्य सचिव

समिति ने 22 नवंबर 2018 को बैठक की और अभिलेखों के अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि उनकी नियमित नियुक्ति से पहले अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों की पिछली सेवा की गिनती करना निम्नानुसार उचित नहीं हो सकता है:

(i) 2012 से पहले किसी भी अनुबंध आधारित चयन के के लिए संविधियों में निर्धारित आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। चयन समितियों में विजिटर के नामिती भी नहीं थे।
(ii) भले ही विज्ञापन नियमित पदों के लिए थे, फिर भी अनबंध आधारित पदों की पेशकश की गई थी और नियुक्त किए गए संकाय सदस्यों ने अनुबंध पर नियुक्ति की शर्तों को स्वीकार कर लिया था।
(iii) अनुबंध आधारित सेवा की कोई निरंतरता नहीं है क्योंकि विभिन्न अवधि में विराम होता है, जिससे पिछली सेवा रुक जाता है।
(iv) अनुबंध पर गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवा की गिनती का से जुड़ी कानूनी जटिलताएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। यह शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ दोनों के बीच वरिष्ठता के मुद्दे उठा सकता है जो कानून की अदालत में संभव नहीं है।

विचार-विमर्श के बाद कार्यकारिणी समिति ने समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार किया।

ईसी 32.4.2: सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लिएन प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश

दिनांक 29 जून 2018 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 31वीं बैठक में कुलपति को लिएन पर संविधियों और नियमों का अध्ययन करने हेतु एक समिति गठित करने और सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को ग्रहणाधिकार प्रदान करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों का प्रस्ताव करने के लिए अधिकृत किया गया। कुलपति ने निम्नानुसार समिति का गठन किया:

1. श्री डी.देब, पूर्व कुलसचिव, असम विश्वविद्यालय एवं नेहू - सदस्य
2. प्रो. संजय बंदोपाध्याय, संगीत विभाग - सदस्य
3. श्री देवाशीष पाल, वित्त अधिकारी - सदस्य
4. श्री टी.के.कौल, कुलसचिव - संयोजक

समिति ने दिनांक 24 और 25 सितंबर 2018 को दो बैठकें कीं। लिएन से संबन्धित भारत सरकार की संविधियों, नियमों के विभिन्न धाराओं तथा कार्यकारिणी परिषद की संकल्पन के अध्ययन के बाद समिति ने एक विस्तृत दिशा-निर्देशों की सिफारिश की, जो कार्यकारी परिषद को प्रस्तुत किए गए थे। हर

एक धारा पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कार्यकारिणी परिषद ने समिति द्वारा अनुशंसित कुछ संशोधनों के साथ विस्तृत दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया है:

समिति द्वारा संस्तुत के अनुसार	कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित
i) विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी (शिक्षण अथवा गैर शिक्षण) जिन्होने चयन होने पर बाहर नियुक्ति के लिए उपयुक्त माध्यम से विश्वविद्यालय में कार्यरत स्थायी पद के लिए सूचना अवधि पर जोर दिए बिना जैसा कि संविधि 26 (6) में दिया गया है, लिएन मांग सकते हैं, वशर्ते कि	i) विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी (शिक्षण अथवा गैर शिक्षण) जिन्होने चयन होने पर उपयुक्त माध्यम से विश्वविद्यालय में कार्यरत स्थायी पद के लिए सूचना अवधि पर जोर दिए बिना बाहर नियुक्ति के लिए चयन होने पर स्थायी पद के लिए लिएन मांग सकते हैं, बशर्ते कि
क) कर्मचारी केंद्र / राज्य सरकार के विभाग अथवा केंद्र / राज्य सरकार की स्वायत्त / वैधानिक संस्था जिसमें केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा के संस्थान, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, आईआईटी, एनआईटी आदि शामिल हैं, जो पूरी तरह से केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, में जाते हैं।	क) समिति द्वारा की गयी सिफ़ारिश के अनुसार। कोई बदलाव नहीं।
ख) इसमें पूरी तरह से अथवा काफी हद तक केंद्र / राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित नहीं होनेवाले विश्वविद्यालय या संस्थान या स्वायत्त / सांविधिक निकाय या पीएसयू आदि शामिल नहीं हैं।	ख) समिति द्वारा की गयी सिफ़ारिश के अनुसार। कोई बदलाव नहीं।
ग) विश्वविद्यालय में उनके सभी देय को समाशोधन करने और सभी संबंधित से एनओसी प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त किया जा सकती है। इसमें कार्यमुक्त किए जाने से पहले उन्हें सौंपे गए सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना भी शामिल है।	ग) समिति द्वारा की गयी सिफ़ारिश के अनुसार। कोई बदलाव नहीं।
घ) उपरोक्त बातों के बावजूद, अगर कोई शिक्षण सेमेस्टर के मध्य में किसी दूसरे संस्थान में कार्यग्रहण करने के लिए लिएन प्रदान करने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय में अपने सक्रिय जुड़ाव को समाप्त करने की इच्छा रखता है, तो उन्हें सेमेस्टर के अंत में कार्यमुक्त किया जा सकता है, जैसा कि अध्यादेश ओबी-2 की धारा 10 के तहत प्रदान	घ) समिति द्वारा की गयी सिफ़ारिश के अनुसार। कोई बदलाव नहीं।

किया गया है। हालांकि, उन्हें सेमेस्टर के बीच में कार्यमुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि - • संबंधित विभाग, जिसमें वह शिक्षण/अनुसंधान का कार्य करते है, संकाय सदस्य उनके जिम्मेदारी को साझा करने के लिए सहमत हो; तथा • विभागीय कार्यवृत्त को विद्यापीठ के डीन के माध्यम से संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रभारी द्वारा संलग्न किया जाता है।	• संबंधित विभाग के संकाय सदस्य पीएचडी या एम.फिल छात्रों के मामले में संयुक्त पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हुए शिक्षण/शोध में कार्यरत संबंधित विभाग के संकाय सदस्य जिम्मेदारी को साझा करने के लिए सहमत हो; तथा
ङ) परिवीक्षा अवधि पर कर्मचारी या जिनके विश्वविद्यालय में किसी भी पद के लिए पुष्टि नहीं की गई है, उनके कार्यरत पद पर ग्रहणाधिकार रखने का हकदार नहीं होगा। ऐसे कर्मचारी को संविधि 26 (6) द्वारा प्रदान की गई अवधि के लिए नोटिस देने के बाद विश्वविद्यालय के बाहर नई स्थिति में शामिल होने के लिए पद से इस्तीफा दे सकता है।	ङ) समिति द्वारा की गयी सिफ़ारिश के अनुसार। कोई बदलाव नहीं।
च) किसी भी कर्मचारी (शिक्षण/गैर-शिक्षण) को दिया गया ग्रहणाधिकार प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा और एक वर्ष के लिए विस्तार योग्य होगा। दो साल की समाप्ति के बाद कोई ग्रहणाधिकार नहीं दिया जा सकता है। हालाँकि, यदि किसी कर्मचारी को किसी वैधानिक पद पर चयनित/ नियुक्त किया जाता है और उसका कार्यकाल होता है, तो एक विशेष मामले के रूप में ग्रहणाधिकार प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि विश्वविद्यालय में कर्मचारी कार्यकाल की अवधि शेष रही हो। हालांकि, ग्रहणाधिकार का यह विशेष मामला किसी भी मामले में पांच साल से आगे नहीं जाएगा	च) समिति द्वारा की गयी सिफ़ारिश के अनुसार। कोई बदलाव नहीं।
छ) ग्रहणाधिकार की अवधि के दौरान, कर्मचारी एनपीएस और अन्य शुल्कों का प्रेषण विश्वविद्यालय को सीधे या उस संगठन के माध्यम से, जहां वह काम कर रहा है, भेजा जा सकता है।	i) किसी भी कर्मचारी (शिक्षण / गैर-शिक्षण) को दिया गया ग्रहणाधिकार प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगा और कार्यकारी परिषद के विवेकानुसार और एक वर्ष के लिए विस्तारित होगा। दो साल की समाप्ति के बाद कोई ग्रहणाधिकार नहीं दिया जा सकता है। हालाँकि, यदि किसी कर्मचारी को किसी वैधानिक पद पर चयनित/नियुक्त किया जाता है और उसका कार्यकाल होता है, तो एक विशेष मामले के रूप में कार्यकाल की अवधि के लिए, ग्रहणाधिकार प्रदान किया जाएगा, वशर्ते कि बशर्ते कि विश्वविद्यालय में कर्मचारी का कार्यकाल उस कार्यकाल तक शेष रही हो।
ज) विश्वविद्यालय में एक पद पर एक कर्मचारी का निम्न स्थिति में ग्रहणाधिकार समाप्त हो जाएगा:	ii) समिति द्वारा की गयी सिफ़ारिश के अनुसार, कोई बदलाव नहीं।

क) किसी अन्य पद में सेवा के अवशोषण या पुष्टि पर ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत लिएन अवधि की समाप्ति पर	iii) समिति द्वारा की गयी सिफ़ारिश के अनुसार, कोई बदलाव नहीं।
झ) विश्वविद्यालय ऐसे पदों पर, जिनके लिए 'लिएन' प्रदान किया गया है, अनुबंध (प्रतिनियुक्ति/अतिथि संकाय) पर व्यक्तियों को नियुक्त करके भर्ती कर सकता है। नियमित नियुक्ति लिएन समाप्त होने के बाद पद रिक्त होने पर नियमित नियुक्ति की जा सकती है।	iv) समिति द्वारा की गयी सिफ़ारिश के अनुसार, कोई बदलाव नहीं।
ञ) ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां एक कर्मचारी, जिसे ग्रहणाधिकार दिया गया था, विश्वविद्यालय में वापस शामिल हो सकता है और फिर से 'ग्रहणाधिकार' लेने का प्रयास कर सकता है। इस तरह के मामलों में 'लिएन' का लाभ उठाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए निष्क्रिय अवधि होनी चाहिए।	vii) ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां एक कर्मचारी, जिसे ग्रहणाधिकार दिया गया था, विश्वविद्यालय में वापस शामिल हो सकता है और फिर से 'ग्रहणाधिकार' लेने का प्रयास कर सकता है। इस तरह के मामलों में 'लिएन' का लाभ उठाने के बाद कार्यग्रहण करने की तिथि से कम से कम दो वर्ष की निष्क्रिय अवधि होनी चाहिए।
ट) उपरोक्त नियमों की प्रयोज्यता से उत्पन्न कोई भी संदेह की स्थिति में कार्यकारिणी परिषद का निर्णय अंतिम होगा।	v) समिति द्वारा की गयी सिफ़ारिश के अनुसार, कोई बदलाव नहीं।

कार्यकारिणी परिषद ने बताया कि सिफारिशों में अंतर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कोई उल्लेख नहीं है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अंतर-सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में जाने के लिए ग्रहणाधिकार के पहलू पर गौर करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

EC 32.4.3: परीक्षा विभाग में अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि में संशोधन

दिनांक 9 जून 2017 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 27वीं बैठक में परिषद को सूचित किया गया था कि परीक्षा विभाग के निम्नलिखित अभिलेखों की अवधारण अवधि को परिणामों की घोषणा के बाद तीन साल के रूप में अनुमोदित किया गया था।

क्र.सं.	अभिलेखों की प्रकृति	प्रतिधारण अवधि
1	सेमेस्टर समाप्ति परीक्षा भरे हुए अंकों की पर्चियाँ	परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद तीन वर्ष
2	प्रयुक्त डिकोडींग की पर्चियाँ	परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद तीन वर्ष

3	आंतरिक आकलन अंक	परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद तीन वर्ष
4	अंतिम सेमेस्टर की उपस्थिति पत्रक	परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद तीन वर्ष
5	अंतिम सेमेस्टर की अनुपस्थिति पत्रक	परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद तीन वर्ष

परीक्षा विभागों ने प्रस्ताव दिया है कि उपरोक्त अभिलेखों को निम्नलिखित आधार पर तीन वर्षों के बजाय परिणाम घोषित करने के बाद केवल एक वर्ष के लिए प्रतिधारित किया जाएँ :

i) परिणाम प्रसंस्करण के पूरा होने पर उपरोक्त रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी अंतिम परिणाम के बही-खाते में दर्ज हो जाती है जो मुद्रित और संग्रहीत होते हैं।

ii) परिणामों का पुनर्मूल्यांकन आमतौर पर परिणामों की घोषणा की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरा हो जाता है और पुनर्मूल्यांकन परिणाम भी संग्रहीत बहीखाता में दर्ज किए जाते हैं।

iii) प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाएं अनुमोदित नीति के अनुसार परिणामों की घोषणा के एक वर्ष के बाद निपटा दी जाती हैं। इसलिए उत्तर पुस्तिकाओं का निपटान करने के बाद उपरोक्त अभिलेखों को बनाए रखना निरर्थक हो जाता है।

iv) संग्रह कक्ष में खाली जगहों की कमी के कारण परीक्षा विभाग को महत्व की प्राथमिकता के आधार पर वस्तुओं को छांटने और अनावश्यक कागजात को हटाने के लिए मजबूर करती है।

v) इसके अलावा, जब भी आवश्यक हो, पुनर्प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड्स को बाहरी हार्ड ड्राइव में डिजिटल प्रारूप में संग्रहीत किया

कार्यकारी परिषद ने विचार-विमर्श के बाद परीक्षा विभाग के उपर्युक्त रिकॉर्ड के लिए तीन वर्ष से एक वर्ष तक की अवधि तक कम करने को मंजूरी दी।

ईसी 32.4.4: शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की विभिन्न प्रकार की छुट्टी की मंजूरी के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन

कार्यकारिणी परिषद को सूचित किया गया था कि वर्तमान में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के अवकाश की मंजूरी के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन की व्यवस्था नहीं है। अध्यापकों के लिए छुट्टी की मंजूरी के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन अध्यादेश में निर्धारित किया गया है, गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए छुट्टी मंजूर करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन को विभागाध्यक्षों, कुलसचिव और कुलपति के लिए प्रस्तावित किया गया है।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद विभिन्न प्रकार के अवकाशों की मंजूरी हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन को निम्नानुसार अनुमोदित किया है :

1. **शिक्षण कर्मचारी :**

क्र.सं.	अवकाश की प्रकृति	अवकाश मंजूर करनेवाले प्राधिकारी
1.	आकस्मिक अवकाश	1. डीन के लिए : कुलपति 2. विभागाध्यक्ष/प्रभारी के लिए : संबन्धित डीन 3. अन्य संकाय सदस्यों के लिए : विभागाध्यक्ष/प्रभारी
2.	विशेष आकस्मिक अवकाश	1. डीन के लिए: कुलपति 2. विभागाध्यक्ष/प्रभारी के लिए: संबन्धित डीन

		3. अन्य संकाय सदस्यों के लिए: विभागाध्यक्ष/प्रभारी
3.	कार्य अवकाश	कुलपति
4.	अर्जित अवकाश	कुलपति
5.	अर्ध वेतन अवकाश	कुलपति
6.	परिणत अवकाश	कुलपति
7.	असाधारण अवकाश	कार्यकारिणी परिषद
8.	अदेय अवकाश	कुलपति
9.	अध्ययन अवकाश	कार्यकारिणी परिषद
10.	सबैटिकल अवकाश	कार्यकारिणी परिषद
11.	मातृत्व अवकाश	कुलपति
12.	पितृत्व अवकाश	कुलपति
13.	शिशु देखभाल अवकाश	कुलपति

2. गैर-शिक्षण कर्मचारी :

क्र.सं.	अवकाश की प्रकृति	अवकाश मंजूर करनेवाले प्राधिकारी
1.	आकस्मिक अवकाश	विभाग के प्रमुख
2.	विशेष आकस्मिक अवकाश	विभाग के प्रमुख
3.	अर्जित अवकाश	विभाग के प्रमुख - 30 दिन तक कुलसचिव – पूर्ण शक्ति
4.	असाधारण अवकाश	कुलसचिव
5.	अदेय अवकाश	कुलपति
6.	अध्ययन अवकाश	कुलपति
7.	मातृत्व अवकाश	कुलसचिव
8.	पितृत्व अवकाश	कुलसचिव
9.	शिशु देखभाल अवकाश	कुलसचिव
10.	अर्धवेतन अवकाश	कुलसचिव

EC 32.4.5: शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि सम्पूर्ण

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि को परिवीक्षा के एक वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी परिवीक्षा की अवधि की समीक्षा प्राधिकरण द्वारा की गई है और कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। कार्यकारी परिषद ने संतोषजनक रिपोर्ट के मद्देनजर प्रत्येक के सामने उल्लेखित तिथि को उनकी परिवीक्षा को समाप्त करने का निर्णय लिया और उनकी परिवीक्षा के पूरा होने की तारीख से अगले दिन से विश्वविद्यालय की सेवाओं में उनकी पुष्टि की।

क्र.सं	अधिकारियों का नाम	पदनाम	विभाग	कार्यग्रहण की तिथि	परिवीक्षा पूरा करने की तिथि

शिक्षण					
1.	प्रो. मोहम्मद यासीन	प्रोफेसर	राजनीति विज्ञान	28/08/2017	27/08/2018
2.	प्रो. शांति स्वरूप शर्मा	प्रोफेसर	बॉटनी	19/09/2017	18/09/2018
3.	डॉ. विमल खवास	सह प्राध्यापक	पीसीएस एंड एम	21/08/2017	20/08/2018
4.	डॉ. कृष्ण मुरारी	सह प्राध्यापक	प्रबंधन	21/08/2017	20/08/2018
5.	डॉ. सत्यानंद पंडा	सह प्राध्यापक	मनोविज्ञान	21/08/2017	20/08/2018
6.	डॉ. योडीदा भूटिया	सह प्राध्यापक	शिक्षा	01/09/2017	31/08/2017
7.	डॉ. बृजेश कुमार पांडे	सह प्राध्यापक	हिन्दी	01/09/2017	31/08/2018
8.	डॉ. वीनू पंत	सह प्राध्यापक	इतिहास	04/09/2017	03/09/2018
9.	डॉ. क्षेत्रिमायुम बिरला सिंह	सह प्राध्यापक	प्राणिविज्ञान	18/09/2017	17/09/2018
10.	डॉ. स्वरूप रॉय	सह प्राध्यापक	कंप्यूटर अनुप्रयोग	05/10/2017	04/10/2018
11.	डॉ. परिविन्दर कौर	सहायक प्राध्यापक	अंग्रेजी	22/08/2017	21/08/2018
12.	डॉ. आनंद परियार	सहायक प्राध्यापक	रसायनिकी	22/08/2017	21/08/2018
13.	डॉ. जेम्स वुंगजंगम हाओकीप	सहायक प्राध्यापक	मानवशास्त्र	23/08/2017	22/08/2018
14.	सुश्री गरिमा ठकुरिया	सहायक प्राध्यापक	मानवशास्त्र	25/08/2017	24/08/2018
15.	श्री अखिलेश कुमार सिंह	सहायक प्राध्यापक	पर्यटन	30/08/2017	29/08/2018
16.	श्री प्रदीप त्रिपाठी	सहायक प्राध्यापक	हिंदी	30/08/2017	29/08/2018
17.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार	सहायक प्राध्यापक	संगीत	04/09/2017	03/09/2018
18.	डॉ. पूजा बस्नेत	सहायक प्राध्यापक	जनसंचार	11/09/2017	10/09/2018
19.	डॉ. बिपुल पाल	सहायक प्राध्यापक	गणित	11/09/2017	10/09/2018
20.	डॉ. अरुणा राई	सहायक प्राध्यापक	नेपाली	14/09/2017	13/09/2018
21.	सुश्री आबृती शर्मा	सहायक प्राध्यापक	शिक्षा	18/09/2017	17/09/2018
22.	सुश्री दीपमाला रोका	सहायक प्राध्यापक	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	19/09/2017	18/09/2018
23.	डॉ. नमिता बेहेरा	सहायक प्राध्यापक	गणित	19/09/2017	18/09/2018
24.	डॉ. अमित कुमार सिंह	सहायक प्राध्यापक	पर्यटन	21/09/2017	20/09/2018
25.	श्री बिनोद भट्टराई	सहायक	समाजशास्त्र	13/10/2017	12/10/2018

		प्राध्यापक			
26.	डॉ. दिनेश कुमार अहिरवार	सहायक प्राध्यापक	पीसीएस एंड एम	18/10/2017	17/10/2018
गैर-शिक्षण					
1.	डॉ. लोक बहादुर लिम्बू	चिकित्सा अधिकारी	स्वास्थ्य केंद्र	25.07.2017	24.07.2018
2.	श्री मनोज रामचंद्र ोम्ब्रे	कार्यकारी अभियंता	अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ	21.07.2017	20.07.2018
3.	श्री अभिजीत राई	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	केंद्रीय पुस्तकालय	21.08.2017	20/08/2018
4.	श्रीमती कुंजिनी प्रकाश दर्नाल	जनसम्पर्क अधिकारी	कुलसचिव का कार्यालय	01.09.2017	31/08/2018
5.	श्री अनिल खाती	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	सिस्टम मैनेजमेंट	21.08.2017	20/08/2018
6.	श्री संदीपन कर	निजी सहायक	वित्त विभाग	06.11.2017	05/11/2018
7.	श्री संजीब बर्मन	सुरक्षा निरीक्षक	सुरक्षा प्रकोष्ठ	04.09.2017	03/09/2018
8.	श्री रोशन राई	प्रयोगशाला सहायक	बॉटनी विभाग	24.08.2017	23/08/2018
9.	श्री दोर्जी पिंटसो लेप्चा	ड्राईवर	परीक्षा विभाग	22.08.2017	21/08/2018
10.	श्री केसांग तामांग	पुस्तकालय अटेंडेंट	केंद्रीय पुस्तकालय	11.09.2017	10/09/2018
11.	श्री सुनील कुमार प्रसाद	प्रयोगशाला अटेंडेंट	रासायनिकी विभाग	30.08.2017	29/08/2018
12.	श्रीमती अन्नु कुमारी	प्रयोगशाला अटेंडेंट	उद्यानिकी विभाग	30.08.2017	29/08/2018
13.	श्री कुश नारायण बस्नेत	प्रयोगशाला अटेंडेंट	जनसंचार विभाग	23.08.2017	22/08/2018
14.	श्री पुकार बिश्वकर्मा	प्रयोगशाला अटेंडेंट	सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग	28.08.2017	27/08/2018
15.	श्री परशुराम छेत्री	किचन अटेंडेंट	विश्वविद्यालय कैफ़िटिरिया	22.08.2017	21/08/2018
16.	श्री थुब गेन तामांग	हॉस्टल अटेंडेंट	विश्वविद्यालय कैफ़िटिरिया	30.08.2017	29/08/2018
17.	श्री बिष्णु कुमार गुरुंग	हॉस्टल अटेंडेंट	रंगीत छात्रावास	07.09.2017	06/09/2018

EC 32.4.6: डॉ. अब्दुल हन्नान, सहायक प्राध्यापक के असाधारण अवकाश को अध्ययन अवकाश में परिवर्तित

डॉ. अब्दुल हन्नान, सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग को वेतन सुरक्षा योजना के तहत आईसीएसएसआर, नई दिल्ली से पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप का लाभ उठाने के लिए 28 मार्च 2017 से दो वर्ष की अवधि के

लिए अतिरिक्त साधारण अवकाश दिया गया था, जिसे 9 जून 2017 को आयोजित परिषद की 27वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। डॉ. अब्दुल हन्नान ने अब ईओएल को अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करने के लिए 25 जुलाई 2018 के अपने आवेदन को रद्द करने का अनुरोध किया है। हालांकि डॉ. अब्दुल हन्नान आईसीएसएसआर की फैलोशिप के अंतर्गत वेतन सुरक्षा योजना के अधीन हैं, वह अध्यादेशों के तहत अवधि के लिए अध्ययन अवकाश लेने के लिए पात्र हैं।

विचार-विमर्श के बाद कार्यकारी परिषद ने डॉ. अब्दुल हन्नान के अनुरोध पर विचार किया और दो साल की अवधि के लिए दिनांक 28 मार्च 2017 से इस शर्त पर अध्ययन अवकाश में ईओएल के रूपांतरण करने की मंजूरी दे दी कि उनके वेतन खाते में देय भुगतान को उस भुगतान के साथ समायोजित किया जाएगा जो उसने पहले ही आईसीएसएसआर के माध्यम से प्राप्त किया है।

EC 32.4.7: सीएएस के तहत सहायक प्रोफेसरों के अगले चरण में नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति

परिषद ने उल्लेख किया कि निम्नलिखित संकाय सदस्यों ने सीएएस के तहत अगले चरण में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और सीएएस और एपीआई स्कोर के तहत सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए यूजीसी के नियमों के अनुसार पात्रता की शर्तों को पूरा किया। दिनांक 10 अगस्त 2018 को आयोजित बैठक में स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी सिफ़ारिशों के आधार पर कार्यकारिणी परिषद ने पात्रता की तारीख से सहायक प्राध्यापक के चरण- II में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी, जैसा कि नीचे प्रत्येक के सामने उल्लेख किया गया है:

क्र.सं.	नाम	कार्यग्रहण की तिथि	पात्रता तिथि
1.	श्री वीर मयंक	28.02.2012	25.05.2017
2.	डॉ. धृति रॉय	27.02.2012	20.02.2018
3.	डॉ. सौरभ माहेश्वरी	23.05.2014	23.05.2018
4.	डॉ. मंजू राणा	29.03.2012	31.12.2016

सूचीबद्ध विषय

EC 32.4.8: विनियमों, प्रथम अध्यादेश और सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम कि संविधि 10 में संशोधन

कार्यकारी परिषद को सूचित किया गया कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 45 (2) के संदर्भ में संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के लिए निम्नलिखित विनियम एमएचआरडी को भेजे गए थे:

आरई-1 कार्यकारिणी परिषद की बैठकों के लिए विनियम
आरई-2 शैक्षणिक परिषदों की बैठकों के लिए विनियम
आरई-3 वित्त समिति के बैठकों के लिए विनियम
आरई-4 परीक्षाओं के संचालन पर विनियम
आरई-5 सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ के विनियम
आरई-6 स्थायी और अन्य न्यास निधि पर विनियम

आरई-7 बी.एड (अंशकालीन) पर विनियम

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम के संविधि 40 (6) के संदर्भ में विजिटर के अवलोकन हेतु निम्नलिखित अध्यादेशों में संशोधन भी एमएचआरडी को भेजे गए थे:

ओसी-3 छात्रों द्वारा देय शुल्कों पर
ओसी-4 कला, विज्ञान, विधि, औषधि, शिक्षा, गृह विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक, वोकेशनल और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर
ओसी-5 कला, विज्ञान, विधि, औषधि, शिक्षा, गृह विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निष्णात पाठ्यक्रमों पर
ओसी-6 दर्शन निष्णात पाठ्यक्रम पर
ओसी-7 विद्या वाचस्पति पाठ्यक्रम पर
ओडी-1 विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में प्रविष्ट महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों पर

एमएचआरडी को सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 21 (3) के संदर्भ में न्यायालय का गठन और बैठक पर संविधि 10 में संशोधन के लिए विजिटर का आश्वासन प्राप्त करने का भी अनुरोध किया गया था।

उपर्युक्त विनियम, अध्यादेशों में संशोधन और संविधि 10 में संशोधन से संबंधित बैठकों में कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद एमएचआरडी को भेज दिया गया था।

एमएचआरडी ने उनकी टिप्पणियों के लिए यूजीसी को प्रस्ताव भेज दिया। यूजीसी की टिप्पणियों को एमएचआरडी द्वारा विश्वविद्यालय को भेज दिया गया है।
यह देखा गया है कि कार्यकारिणी परिषद, शैक्षणिक परिषद और न्यायालय के कोरम में बदलाव के लिए यूजीसी द्वारा सुझाई गई टिप्पणियों का अनुपालन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह विश्वविद्यालय की संविधि में उल्लिखित प्रावधान का उल्लंघन होगा।

यूजीसी ने टिप्पणी की है कि एम.फिल और पीएचडी कार्यक्रमों पर अध्यादेश ओसी -6 और ओसी -7 क्रमशः यूजीसी (एम.फिल/पीएचडी की उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अनुसार नहीं है कुलपति ने यूजीसी की सिफारिश के अनुसार अध्यादेशों को संशोधित करने के लिए अध्यादेश को गहराई से देखने और संशोधन का सुझाव देने, अगर कोई हो, के लिए प्रो. नवल के. पासवान की अध्यक्षता में प्रो. एन. सत्यनारायण और डॉ. प्रवीण मिश्रा को सदस्य के रूप में और डॉ. एस.के. गुरुंग, संयोजक के रूप में लेकर एक समिति का गठन किया है। यूजीसी के प्रत्येक सुझाव पर विस्तृत टिप्पणी नीचे दी गई है।

<u>विनियम</u>

आरई -1: कार्यकारिणी परिषद की बैठकों के लिए विनियम

यूजीसी की टिप्पणी	निगमन की स्थिति

एमएचआरडी ने दिनांक 3 मार्च 2016 को प्रेषित अपने पत्र क्रमांक F.61-19 / 2015 - डेस्क (U) द्वारा अध्यक्ष, यूजीसी और सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रतिलिपि भेजते हुए स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि सभी एजेंडा आइटमों को एमएचआरडी/यूजीसी को बैठक से कम से कम दो सप्ताह पहले भेजे जाएं ताकि नियामक की टिप्पणियों के साथ-साथ मंत्रालयों की टिप्पणियों सहित एजेंडा मदों की समुचित जांच हो। इसलिए, एमएचआरडी द्वारा जारी निर्देशों के मद्देनजर विश्वविद्यालय को खंड 4 में संशोधन करने की सलाह दी जा सकती है।	निर्देश विनियम की धारा 4 में शामिल किया जाएँ।
धारा 6 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए : - "अध्यक्ष के अतिथि, कार्यकारिणी परिषद की बैठक के लिए कार्यकारिणी परिषद के कुल 1/3 सदस्यों द्वारा कोरम बनाई जाएगी।"	चूंकि कोरम का प्रावधान विश्वविद्यालय की संविधि 11 (3) में सूचीबद्ध है, अत: संशोधन को प्रभावी नहीं किया जा सकता है।
धारा 6 के तहत, निम्नलिखित पैरा को हटाया जा सकता है: - “जहां वित्त समिति की बैठक विधिवत बुलाई गई है और बैठक के लिए आधे घंटे के नियत समय के भीतर कोरम पूरा नहीं होता है, बैठक को अगले सप्ताह में उसी दिन और उसी समय तक अथवा किसी अन्य दिन और अन्य समय और स्थान पर, जैसा कि उपस्थित सदस्य निर्धारित करें, तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। स्थगित बैठक के लिए एक नोटिस वित्त समिति के सभी सदस्यों को भेजा जाएगा। यदि नियत समय के आधे घंटे के भीतर स्थगित बैठक में कोई कोरम पूरा नहीं होता है, तो उपस्थित सदस्य कोरम का गठन करेंगे। यदि एजेंडा आइटम पर विचार-विमर्श बैठक के दिन अनिर्णायक रहता है, तो बैठक अगले दिन या किसी अन्य दिन जारी रखी जा सकती है, जैसा कि अध्यक्ष तय कर सकते हैं। निरंतर बैठक के लिए कोई कोरम की आवश्यकता नहीं होगी और समिति अपने विचार-विमर्श को पहले प्रसारित किए गए एजेंडे तक सीमित रखेगी।”	हम पैरा को हटा दें।

आरई -2: शैक्षणी परिषद की बैठकों के लिए विनियम

यूजीसी की टिप्पणी	निगमन की स्थिति
एमएचआरडी ने दिनांक 3 मार्च 2016 को प्रेषित अपने पत्र क्रमांक F.61-19 / 2015 - डेस्क (U) द्वारा अध्यक्ष, यूजीसी और सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रतिलिपि भेजते हुए स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि सभी एजेंडा आइटमों को एमएचआरडी/यूजीसी को बैठक से कम से कम दो सप्ताह पहले भेजे जाएं ताकि नियामक की टिप्पणियों के साथ-साथ मंत्रालयों की टिप्पणियों सहित एजेंडा मदों की समुचित जांच हो। इसलिए,	निर्देश विनियम की धारा 4 में शामिल किया जाएँ।

एमएचआरडी द्वारा जारी निर्देशों के मद्देनजर विश्वविद्यालय को खंड 4 में संशोधन करने की सलाह दी जा सकती है।	
धारा 6 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए : - "शैक्षणिक परिषद की बैठक के लिए परिषद के 1/3 सदस्यों द्वारा कोरम बनाई जाएगी।"	चूंकि कोरम का प्रावधान संविधि 13 (3) में सूचीबद्ध है, अत: संशोधन को प्रभावी नहीं किया जा सकता है।

आरई -3: वित्त समिति की बैठकों के लिए विनियम

यूजीसी की टिप्पणी	निगमन की स्थिति
धारा 6 के तहत, निम्नलिखित पैरा को हटाया जा सकता है: - “जहां वित्त समिति की बैठक विधिवत बुलाई गई है और बैठक के लिए आधे घंटे के नियत समय के भीतर कोरम पूरा नहीं होता है, बैठक को अगले सप्ताह में उसी दिन और उसी समय तक अथवा किसी अन्य दिन और अन्य समय और स्थान पर, जैसा कि उपस्थित सदस्य निर्धारित करें, तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। स्थगित बैठक के लिए एक नोटिस वित्त समिति के सभी सदस्यों को भेजा जाएगा। यदि नियत समय के आधे घंटे के भीतर स्थगित बैठक में कोई कोरम पूरा नहीं होता है, तो उपस्थित सदस्य कोरम का गठन करेंगे। यदि एजेंडा आइटम पर विचार-विमर्श बैठक के दिन अनिर्णायक रहता है, तो बैठक अगले दिन या किसी अन्य दिन जारी रखी जा सकती है, जैसा कि अध्यक्ष तय कर सकते हैं। निरंतर बैठक के लिए कोई कोरम की आवश्यकता नहीं होगी और समिति अपने विचार-विमर्श को पहले प्रसारित किए गए एजेंडे तक सीमित रखेगी।”	अवलोकनों को संकलित किए जाए और आवश्यक पैरा हटा दिए गए।

आरई-4: परीक्षाओं के संचालन पर विनियम

यूजीसी की टिप्पणी	निगमन की स्थिति
प्रस्तावित विनियम पर यूजीसी को कोई आपत्ति नहीं है	संशोधनों को शामिल करने के बाद कार्यकारिणी परिषद की उचित अनुमोदन के साथ दिनांक 09.10.2017 को अधिसूचना सं 115/2017 परीक्षाओं के संचालन पर एक संशोधित विनियमों को इसलिए संशोधित विनियमों को विचार के लिए एमएचआरडी को भेजा जा सकता है।

आरई -5: सिक्किम विश्वविद्यालय पूर्वछात्र संगठन के विनियम

यूजीसी की टिप्पणी	निगमन की स्थिति
प्रस्तावित विनियम पर यूजीसी को कोई आपत्ति नहीं है	

आरई -6: अक्षय निधि और अन्य न्यास निधि पर विनियम

यूजीसी की टिप्पणी	इसके निगमन की स्थिति
प्रस्तावित विनियम पर यूजीसी को कोई आपत्ति नहीं है	

आरई -7: तीन वर्षीय बी.एड (अंशकालीन पाठ्यक्रम) पर विनियम

यूजीसी की टिप्पणी	इसके निगमन की स्थिति
प्रस्तावित संशोधन पर यूजीसी की कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि एनसीटीई के सभी मंदन्द्यों और मानकों को पूरा करें।	

<u>प्रथम अध्यादेश में संशोधन</u>

ओसी -3: छात्रों द्वारा भुगतान किए जानेवाले शुल्कों पर

यूजीसी की टिप्पणी	इसके निगमन की स्थिति
धारा 6 के तहत, विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा है: - “सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और एसयू के कर्मचारियों की संतानों और यांगयांग के ग्रामीणों के लिए ट्यूशन फीस में 50% की छूट दी जाएगी। वही विकलांग छात्रों, यांगयांग के लोग जो विश्वविद्यालय परिसर के लिए राज्य सरकार को अपनी जमीन बेच चुके हैं, और सिक्किम के ‘आदिम जनजाति’ के लिए 100% तक छूट दी जाएगी”। उपरोक्त खंड उचित नहीं लगता है और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्र भी इसी प्रकार की रियायत का दावा कर सकते हैं। इसलिए, एमएचआरडी इस धारा को जोड़ने या हटाने पर विचार कर सकता है। हालांकि, अलग-अलग विकलांग छात्रों के लिए ट्यूशन फीस की रियायत के लिए यूजीसी को कोई आपत्ति नहीं है।	यूजीसी ने इस संबंध में निर्णय लेने के लिए मामले को एमएचआरडी को भेज दिया है। इसलिए अध्यादेश में प्रावधान को तब तक बरकरार रखा जा सकता है जब तक एमएचआरडी इस पर आपत्ति नहीं जताता।

ओसी - 4: कला, विज्ञान, विधि, औषधि, शिक्षा, गृह विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक, वोकेशनल और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर

यूजीसी की टिप्पणी	इसके निगमन की स्थिति
प्रस्तावित संशोधन पर यूजीसी को कोई आपत्ति नहीं है	

ओसी -5: कला, विज्ञान, विधि, औषधि, शिक्षा, गृह विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निष्णात पाठ्यक्रमों पर

यूजीसी की टिप्पणी	इसके निगमन की स्थिति
प्रस्तावित संशोधन पर यूजीसी को कोई आपत्ति नहीं है	

ओसी -6: दर्शन निष्णात पाठ्यक्रम पर

यूजीसी की टिप्पणी	इसके निगमन की स्थिति
यह अध्यादेश यूजीसी (एम.फिल/पीएच.डी की उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अनुसार नहीं है। इसलिए, विश्वविद्यालय को इस अध्यादेश को यूजीसी (एम.फिल/पीएच.डी की उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अनुसार सख्ती से पुन: बनाने के लिए सलाह दी जाती है।	कुलपति ने अध्यादेश की गहराई से जांच करने और इसमें संशोधन करने, अगर कोई हो, के लिए यूजीसी विनियम 2016 के अनुसार इसे पुन: तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है

ओसी -7: विद्या वाचस्पति पाठ्यक्रम पर

यूजीसी की टिप्पणी	इसके निगमन की स्थिति
यह अध्यादेश यूजीसी (एम.फिल/पीएच.डी की उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अनुसार नहीं है। इसलिए, विश्वविद्यालय को इस अध्यादेश को यूजीसी (एम.फिल/पीएच.डी की उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अनुसार सख्ती से पुन: बनाने के लिए सलाह दी जाती है।	कुलपति ने अध्यादेश की गहराई से जांच करने और इसमें संशोधन करने, अगर कोई हो, के लिए यूजीसी विनियम 2016 के अनुसार इसे पुन: तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है

ओडी -1: विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रवेश पर

यूजीसी की टिप्पणी	निगमन की स्थिति
प्रस्तावित संशोधन पर यूजीसी को कोई आपत्ति नहीं है	

संविधि

न्यायालय के गठन और बैठकों के संबंध में सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की संविधि 10 में संशोधन

यूजीसी की टिप्पणी	निगमन की स्थिति
खंड 5 को इस प्रकार संशोधित किया जाए " न्यायालय के कम से कम 1/3 सदस्य न्यायालय की बैठक की कोरम पूरा करेंगे"	चूंकि संविधि 10 (5) में कोरम के प्रावधान का उल्लेख है, अत: संशोधन को प्रभावित नहीं किया जा सकता है।
शीर्षक "प्रबुद्ध व्यवसायों और विशेष हितों का प्रतिनिधित्व	अवलोकन का अनुपालन किया जा

करने वाले व्यक्ति" के अंतर्गत "ट्रेड यूनियनों" शब्द को हटाया जाएँ।	सकता है.
संसद के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए एमएचआरडी एक नज़र रखना पसंद कर सकता है।	यूजीसी ने इस संबंध में निर्णय लेने के लिए मामले को एमएचआरडी को भेज दिया है। इसलिए जब तक एमएचआरडी इस पर आपत्ति नहीं जताता, तब तक संविधि में प्रावधान बरकरार रखा जाएँ।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद उपरोक्त तालिका में दिए गए सुझाव को मंजूरी दे दी और तदनुसार, विश्वविद्यालय को मामले को एमएचआरडी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सलाह दी।

EC 32.4.9: प्रवेश 2018-19 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क संरचना

कार्यकारी परिषद ने 16 अप्रैल 2018 को आयोजित अपनी 30 वीं बैठक में कुलपति को विश्वविद्यालय अध्यादेश में दिए गए के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करने तथा यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई के मानदंडों के अनुसार कौन से पाठ्यक्रम पेशेवर हैं और कौन से प्रयोगशाला आधारित हैं, उसे निर्धारित करने तथा अध्यादेश में बदलाव का सुझाव देने, अगर कोई हो, के लिए अधिकृत किया। तदनुसार, प्रो. जेता सांकृत्यायन की अध्यक्षता में डॉ. धनराज छेत्री, डॉ. कृष्ण मुरारी, श्रीमती चुन्नू खवास, श्री विवेक तमांग, श्री वीर मयंक, डॉ. मंजू राणा, डॉ. अर्चना तिवारी और डॉ. मनोज दास को सदस्य के रूप में और डॉ. एस.के.गुरुंग को संयोजक के रूप में शामिल करते हुए इस मामलों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया।

विभागाध्यक्षों से प्राप्त मानदंड और इनपुट के आधार पर 15 नवंबर, 2018 और 19 नवंबर 2018 को दो दिन की बैठक के बाद समिति निम्नलिखित विषयों/पाठ्यक्रमों को वर्गीकृत करती है:

i) व्यावसायिक विषय
ii) उपभोज्य समग्रियों के प्रयोग के साथ या प्रयोग के बिना प्रयोग आधारित विषय
iii) प्रशिक्षुता आधारित विषय
iv) गैर-प्रयोगशाला गैर-व्यावसायिक पारंपरिक विषय

समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिया :

1. अध्यादेश ओसी -3 (2) में किसी अलग वर्ग के रूप में उपभोग्य सामग्रियों के बिना यूजी/पीजी/ एमफिल/पीएचडी लैब को शामिल करने के लिए एक पृथक कॉलम जोड़ा जाना है। अध्यादेशों में दिए गए अनुसार इस विषय के लिए आधार शुल्क लिया जा सकता है।
2. जबकि उपभोग्य सामग्रियों के उपयोग के साथ प्रयोगशाला आधारित विषय के लिए गैर-उपभोज्य विषयों की तुलना में प्रवेश और परीक्षा शुल्क में आधार शुल्क में रु. 1000 की वृद्धि की जा सकती है और तदनुसार इस प्रावधान को शामिल करने के लिए अध्यादेश ओसी-2 (2) में उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है।

3. व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/विषयों के लिए लागू ट्यूशन शुल्क को विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के ओसी -3 (2 बी) के तहत परिभाषित किया जाना चाहिए।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कार्यकारी परिषद ने पाया कि समिति ने उन पाठ्यक्रमों/विषयों के लिए मौजूदा शुल्क के साथ कोई तुलना नहीं की है जहाँ संशोधन की सिफारिश की गई है और संदर्भ की शर्तों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। इस मुद्दे पर निम्नलिखित समिति द्वारा फिर से विचार करने तथा प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले सिफ़ारिश प्रस्तुत करने के लिए निर्णय लिया गया था :

1. प्रो. अभिजीत दत्ता	-	अध्यक्ष
2. प्रो. एन. सत्यनारायण	-	सदस्य
3. डॉ. के.आर. राम मोहन	-	सदस्य
4. श्री सोनम वांगचुक भूटिया	-	सदस्य

खंड – 5
प्राधिकरणों/समितियों के कार्यवृत्त

EC 32.5.1: दिनांक 16 नवंबर 2018 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 24वीं बैठक का कार्यवृत्त

16 नवंबर 2018 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 24 वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया गया विचार-विमर्श के बाद कार्यकारी परिषद ने निम्नलिखित मदों को विशेष स्वीकृति दी:

i) शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर यूजीसी विनियम, 2018 को अपनाना।

ii) उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक अखंडता को बढ़ावा देने और साहित्यिक चोरी की रोकथाम पर यूजीसी विनियम, 2018 को साहित्यिक चोरी सहिष्णुता 10% तक के साथ अपनाना है जो सभी अनुमति और उद्धरण, संदर्भ, ग्रंथ सूची, विषय सूची, प्रस्तावना, पावती, सामान्य शब्द, कानून, मानक प्रतीक और मानक समीकरण सहित उद्धृत कार्य से अनन्य है। इसके अलावा कुलपति सिफारिशों के अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिए कि कैसे उन्हें विश्वविद्यालय में लागू किया जा सकता है और साहित्यिक चोरी के लिए सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए भी एक समिति का गठन करें।

iii) प्रत्येक परियोजना के लिए निधि एजेंसी से प्राप्त ऊपरी व्यय शुल्क के कॉर्पस से बाहर संविदात्मक कर्मचारियों को नियुक्त करना। इसके अलावा कॉर्पस का इस्तेमाल 30:70 के अनुपात में मैनपावर को काम पर रखने और शोध के लिए किया जा सकता है।

iv) शैक्षणिक सत्र 2018-19 से दक्षिण सिक्किम के सिक्किम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सिस्ट) को अस्थायी संबद्धता प्रदान करने में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि करें।

v) 40 छात्रों के प्रवेश के साथ सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गंगटोक बीएससी (नर्सिंग) शुरू करने के लिएअस्थायी संबद्धता देने में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि करें।

vi) 60 छात्रों प्रवेश के साथ सरकारी फार्मेसी कॉलेज, सोजोंग, रुमटेक में बी. फार्मा पाठयक्रम शुरू करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2018-19 के अस्थायी संबद्धता प्रदान करने में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि करें।

vii) शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए दस (10) कॉलेजों/विषयों के अस्थायी संबद्धता का नवीनीकरण।

EC 32.5.2: दिनांक 22 नवंबर 2018 को आयोजित वित्त समिति के बैठक का कार्यवृत्त

22 नवंबर 2018 को आयोजित वित्त समिति की 20 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया गया और कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। वार्षिक लेखा 2017-18 और पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) 2017-18 के लिए विशिष्ट अनुमोदन दिया गया था।

सूचीबद्ध विषय

EC 32.5.3: दिनांक 24 दिसंबर 2018 को आयोजित वित्त समिति की 21वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 24 नवंबर 2018 को आयोजित वित्त समिति की 21वीं समिति के कार्यवृत्त को कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

EC 32.5.4: दिनांक 26 जनवरी 2019 को परिचालन के माध्यम से आयोजित वित्त समिति की 22वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 26 जनवरी 2019 को आयोजित वित्त समिति की 22वीं समिति के कार्यवृत्त को कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता/-	**हस्ता /-**
(टी.के.कौल)	**(प्रो. अविनाश खरे)**
कुलसचिव एवं सचिव	**कुलपति एवं अध्यक्ष**
कार्यकारिणी परिषद	**कार्यकारिणी परिषद**